

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 21/03/21

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 74.238 लाख (रूपये चौहत्तर लाख तेर्हस हजार आठ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— 77 / 12.02.2018; 04 / 21.04.2017 एवं 51 / 24.09.2019
(Online स्वीकृत्यादेश सं.— 2162 / 13.02.2018; 448 / 02.05.2017 एवं 1463 / 25.09.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20— पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05—निर्माण / 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796200545	74.238

आवंटित राशि — रूपये चौहत्तर लाख तेर्हस हजार आठ सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- निर्गत आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनर्विनियोग एवं द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 322

रॉची, दिनांक :— 21/03/21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/खूंटी/चाईबासा/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।




(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 322

रॉची, दिनांक :— 21/03/21

प्रतिलिपि :— सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-II एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-४७०—लघु सिंचाई पर दौड़िगत व्यय
लघु शीर्ष-७९६—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष-२०—पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष-०५—निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (२०२०-२१) — लपये १५०.०० लाख (लपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र
तिपत कोड—५०८४७०२०७९६७०५५

क्र. नं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम				प्रशासनिक स्वीकृति				वर्ष 2020-21 में योजना प्राप्त अधिकारीनाम (10+13)	Online Allotment Access No.	अस्थिति		
				प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकरणित राशि	मार्च 2020 तक द्यय	पूर्त का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन (10+13)					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	राँची	चाहो	सोनागढ़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	04/2017-18 dt 21.04.2017	98.967	418 / 02.05.2017	88.945	60.780	0.000	3.356	3.356	64.136	90062		
2	2	राँची	बेंडो	खिरदा म०सिंयों का जीणांद्वार	77/2017-18 dt 12.02.2018	35.840	2162 / 13.02.2018	31.877	11.899	0.000	12.266	12.266	24.165	90114		
3	3	राँची	खलारी	भीतर खोलका म०सिंयों का जीणांद्वार	51/2019-20 dt 24.09.2019	98.935	1463 / 25.09.2019	88.007	0.000	16.198	5.159	21.357	21.357	90123		
4	4	राँची	सिल्ली	एसत मध्यम सिंचाई योजना का विस्तारीकरण	04/2017-18 dt 21.04.2017	72.856	448 / 02.05.2017	67.111	57.990	0.000	0.500	0.500	58.490	90063		
5	1	राँची	तुण्ड	तिलइपीडी मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	04/2017-18 dt 21.04.2017	61.375		56.289	55.790	0.000	0.900	0.900	56.690			
6	2	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, झूँटी (RNCCRKK01)	झूँटी	सोनपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	77/2017-18 dt 12.02.2018	35.076	2162 / 13.02.2018	24.347	22.575	0.000	2.500	2.500	25.075	90117		
7	3	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, झूँटी (RNCCRKK01)	झूँटी	लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई योजना का जीणांद्वार	162.864	143.963	137.135	0.000	1.000	1.000	1.000	138.135				
8	4	राँची	तमाङ	विरागालडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	64.636	57.354	58.616	0.000	0.400	0.400	0.400	59.016				
9	5	राँची	तुण्ड	दरकोदा म०सिंयों का जीणांद्वार	396.807		349.064	332.106	0.000	5.300	5.300	337.406				
10	1	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चाईबांग (SGHMIR002)	प० सिंहमूम	चक्रधरपुर	जोनाबेड़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	04/2017-18 dt 21.04.2017	66.243	448 / 02.05.2017	62.416	43.602	0.000	11.011	11.011	54.613	90074	
11	1	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चाईबांग (SGHMIR001)	साहेबगंज	मंडरो	मथाडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	04/2017-18 dt 21.04.2017	30.160	448 / 02.05.2017	26.344	20.613	0.000	1.804	1.804	22.417	90083	
					योग :-		66.243	62.416	43.602	0.000	11.011	11.011	54.613			
					सकल योग :-		30.160	26.344	20.613	0.000	1.804	1.804	22.417			
					आवंटित राशि – रूपये चौहत्तर लाख तेर्स हजार आठ सौ मात्र।		789.189	708.340	469.000	16.198	74.238	90.436	559.436			

योजना का जीणां०	dt 21.04.2017 उपलब्धि-10	66.243	02.05.2017 448/	62.416
योजना का जीणां०	04/2017-18 dt 21.04.2017	30.160	02.05.2017 448 /	26.344
		30.160		26.344
	789.189		708.340	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)